

28/9/20

वकील आशी ने निवेदन पत्र पत्रावली
द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश की

लोक अदालत में
आवना हे अंतर
विशे करण हे

वकील आशी ने निवेदन किया है

कि उक्त मार्ग चलाया नहीं गया

है जोकि अदालत को भक्त को उक्त

जाति विरुद्ध खारिज पत्रावली जानकर

निवेदन किया है कि वकील आशी

का अंतर पर जोर से विरुद्ध खारिज

किया जाय है पत्रावली के लिये शुभ

होकर नम्बर से कम ही एक दायिम

रफ्तार है

[Handwritten signature]

उपखण्ड अधिकारी
पीपल शहर
सदर
राष्ट्रीय लोक अदालत

[Handwritten signature]
28/09/20
जज
राष्ट्रीय लोक अदालत

Shiv

अतिरिक्त आशी